



फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद द्वारा आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान किये जाने हेतु विक्रय विलेख

सन् ई० के मास के दिनांक.....को उपाध्यक्ष,
फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, (जिनको एतदपश्चात् "प्रथम पक्ष" कहा गया है) तथा ...

.....
(जिसको एतदपश्चात् "द्वितीय पक्ष" कहा गया है) के मध्य निष्पादित किया जाता है।

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि द्वितीय पक्ष को आवंटित हुआ था। आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भूखण्ड का स्वामित्व रु०
(रु० केवल) के एवज में द्वितीय पक्ष को कब्जा पत्र सं०

..... के अनुसार हस्तान्तरित किया जाना है।
और चूँकि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भूखण्ड सं० का स्वामित्व
..... प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार कर लिया गया है।

और चूँकि जनपद फिरोजाबाद की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भूखण्ड, उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना है।

अतः द्वितीय पक्ष द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट/आस-पास की भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा व कोई प्रदूषणकारी अथवा अनैतिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 सपठित शासनादेश सं० 1639/9आ-1-95-80मिस/86, दिनांक 10 मई, 1995 तथा शासनादेश सं० 1778/9आ-1-95-80मिस/86 दिनांक 24.05.95 के अनुसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि अनुसूची में वर्णित भूमि सहित भूखण्ड का स्वामित्व द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित किये जाने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को रु०
(रु० केवल) बैंक में ऑनलाइन द्वारा किये गये भुगतान (जिसका सत्यापन लेखा विभाग द्वारा किया जा चुका है व प्राप्ति प्रथम पक्ष एतद् द्वारा स्वीकार करता है)

के प्रतिफल स्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका द्वितीय पक्ष पालन करेगा, को ध्यान में रखकर प्रथम पक्ष एतद् द्वारा वह सब भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है

और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख में संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्री-होल्ड रूप में द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्रदान करते हैं अतएव द्वितीय पक्ष उसके दावाधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि, नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा।

भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों का अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनों पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को संदर्भित किया जायेगा। जिसपर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या, प्रसंगो से असंगत न हो, "प्रथम पक्ष" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों का तथा "द्वितीय पक्ष" में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितियों का अन्तर्भाव सदैव रहेगा।

इस विलेख के साक्ष्य में द्वितीय पक्ष ने और प्रथम की ओर से एवं उनके द्वारा अधिकृत/अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं। विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

भूखण्ड सं० स्थित

..... कुल रकवा वर्गमी० जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :

पूरब :

पश्चिम :

उत्तर :

दक्षिण :

द्वितीय पक्ष ने फ्री-होल्ड के लिए सम्पूर्ण धनराशि रू० प्राधिकरण कोष में ऑनलाइन द्वारा जमा कर दी है।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
की ओर से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत

साक्षी-(1)

साक्षी-(2)